प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के साथ-साथ उसकी कुछ स्वतन्त्र विशेषताएँ होती हैं जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा । इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता का निर्माण होता है ।

राजभाषा, सरकार और जनता के बीच की भाषा होती है और जब तक इन दोनों स्तरों पर समान भाषा का व्यवहार नहीं होता तब तक सम्प्रेषण की समस्याएँ बनी रहती हैं । किसी भी स्वतन्त्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए अपनी स्वदेशी भाषाओं को छोड़ किसी विदेशी भाषा को राजभाषा के सन्माननीय स्थान पर प्रतिष्ठित करना अपमानजनक होता है । दूसरी ओर विदेशी भाषा के द्वारा सरकार और जनता के बीच भावों तथा विचारों का परस्पर आदान-प्रदान भी सार्थक नहीं होता है । इसलिए किसी भी देश की राजभाषा उसकी अपनी राष्ट्रभाषा ही होती है । यही कारण है कि रूस की राजभाषा रूसी, जर्मन की जर्मनी, फ्रांस की फ्रेंच, जापान की जापानी और चीन की राजभाषा चीनी है ।

भाषा की दृष्टि से भारत एक बहुभाषी देश है । ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं उतनी विश्व के किसी भी देश में नहीं बोली जाती । भारत में कुल 25 राज्य और 6 केन्द्रशासित क्षेत्र हैं । इन सभी राज्यों एवं क्षेत्रों की अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न प्रान्तीय भाषाएं हैं । इसके अतिरिक्त सभी प्रान्तों में बहुत-सी उप-भाषाएँ और स्थानीय भाषाएँ भी प्रचलित हैं । देश की सभी भाषाओं की अपेक्षा सर्वाधिक प्रचलित, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य, लचीली, निश्चितार्थक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल से कच्छ तक सर्वत्र अल्पाधिक बोली और समझी जाने के कारण देश के चिंतकों, मनीषियों, राष्ट्रीय नेताओं, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा ब्रिटिश शासन का अन्त होने के पश्चात राष्ट्र के राजकीय कार्यों, राष्ट्र के नवनिर्माण, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता-अखण्डता तथा अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए हिन्दी को राजभाषा के पद पर आसीन करने का निर्णय लिया गया ।

हिन्दी भाषी परिवार से होने के नाते तथा आरम्भ से ही शिक्षा हिन्दी माध्यम से होने के कारण हिन्दी के प्रति मेरी कुछ विशेष ही रूचि रही है । केन्द्रीय भण्डारण निगम के हिन्दी विभाग में नियुक्ति के पश्चात् राजभाषा नीति से सम्बन्धित कार्यों से निरन्तर जुड़ी रहने के कारण मेरी यही रुचि हिन्दी के प्रति कर्त्तव्य और अटूट श्रद्धा में बदल गई ।

कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग, प्रचार-प्रसार के कार्यों से जुड़ी रहने और निगम से पूरा-पूरा सहयोग मिलने के कारण हिन्दी से सम्बन्धित और कुछ व्यापक कार्य करने की इच्छा बलवती हुई ।

चूँकि केन्द्रीय भण्डारण निगम के कार्यालय और भाण्डागार देश भर में स्थित हैं इसलिए निगम के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और भाण्डागारों में राजभाषा के कार्यान्वयन व प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों, लागू प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने और अधिकारियों व कर्मचारियों को राजभाषा में काम करने में आनेवाली समस्याओं तथा इस सम्बन्ध में उनके सुझावों को प्राप्त करने के लिए हिन्दी तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम दोनों से सम्बन्धित **"केन्द्रीय भण्डारण निगम और प्रयोजनमूलक हिन्दी"** विषय मुझे बहुत ही उचित लगा और मैंने इस विषय पर शोध-कार्य करने का निर्णय लिया ताकि उसके आधार पर राजभाषा के कार्यान्वयन व प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में आवश्यक व उचित सकारात्मक प्रयास किए जा सकें ।

भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान होने के कारण केन्द्रीय भण्डारण निगम को भी अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में करने तथा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करने के निदेश प्राप्त हुए ।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के कार्यालय तथा भाण्डागार देश भर में स्थित हैं तथा निगम का अपने दैनिक काम-काज में व्यापारियों, किसानों, उद्योगपतियों, आयातकों, निर्यातकों, सहकारी संस्थाओं और सरकारी एवं अर्ध सरकारी कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधा सम्बन्ध रहता है । इसके अतिरिक्त निगम का भारत सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों से भी अपने दैनिक काम-काज के अन्तर्गत सम्प्रेषण तथा कार्यालयीन सम्बन्ध रहता है । चूँकि निगम का अपने जमाकर्ताओं से सीधा सम्पर्क होता है इसलिए निगम द्वारा हिन्दी भाषी राज्यों में इनसे सम्पर्क व पत्राचार के लिए राजभाषा का ही मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है । अहिन्दी भाषी राज्यों में जहाँ जमाकर्ताओं को राजभाषा के प्रयोग में कठिनाई होती है वहाँ उस राज्य की प्रान्तीय/स्थानीय भाषा/बोली का भी प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार निगम द्वारा अपने कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ सरकारी आदेशों के अनुपालन के तहत हिन्दी के कार्यान्वयन का कार्य भी होता है और राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग का हर सम्भव प्रयास भी किया जाता है ।

निगम में हिन्दी में दैनिक कार्यालयीन काम-काज को बढ़ावा देने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि तथा हिन्दी में दैनिक कार्यालयीन काम-काज करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । उन्हें इस कार्य के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाता है तथा हिन्दी में कार्य करने हेतु सभी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं । कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए विभिन्न पुरस्कार तथा प्रोत्साहन योजनाएँ भी लागू की गई हैं ।

केन्द्रीय भण्डारण निगम हिन्दी में अधिक से अधिक काम करनेवाले अग्रणी सरकारी उपक्रमों में से एक है तथा निगम द्वारा हिन्दी के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं । अनेक प्रकार के प्रयासों के बावजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपनी-अपनी कुछ समस्याएँ हैं, जिससे उन्हें हिन्दी में कार्य करने में कुछ कठिनाइयाँ पेश आती हैं । ये समस्याएँ मुख्यतः वैयक्तिक स्तर की, निगम के स्तर की और प्रशासन के स्तर की हैं, जिसके परिणामस्वरूप हिन्दी का अपेक्षित रूप से प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है । अतः यह आवश्यक है कि इन सभी समस्याओं का समाधान सम्बन्धित स्तर पर किया जाए । इन सभी समस्याओं का समाधान निगम के नियमों में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कर, कुछ नई योजनाएँ बनाकर, सरकारी नीतियों में नए प्रावधान बनाकर, सरकार की उदारीकरण की नीति को बदलकर तथा प्रत्यक्ष दण्ड का विधान बनाकर किया जा सकता है ।

कुल मिलाकर, केन्द्रीय भण्डारण निगम के दैनिक काम-काज में प्रयोजनमूलक हिन्दी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है । यदि निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिन्दी में कार्य करने में आनेवाली समस्याओं का समुचित समाधान किया जाए, उनका उचित मार्गदर्शन किया जाए तथा इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं तो केन्द्रीय भण्डारण निगम में प्रयोजनमूलक हिन्दी के विकास व प्रचार-प्रसार के और भी नए आयाम निकल सकते हैं ।

इस शोध-प्रबन्ध का शीर्षक है - **"केन्द्रीय भण्डारण निगम और प्रयोजनमूलक हिन्दी"** । शोध-कार्य की सुविधा के लिए इस शोध-प्रबन्ध को आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है -

प्रथम अध्याय **"भण्डारण और भाण्डागार"** में भण्डारण, भण्डारण की संकल्पना, भण्डारण के कारण, उद्देश्य आदि को स्पष्ट करते हुए भाण्डागार की विशेषताओं आदि पर प्रकाश डाला गया है ।

द्वितीय अध्याय **"केन्द्रीय भण्डारण निगम"** में केन्द्रीय भण्डारण निगम की पृष्ठभूमि, निगम की स्थापना के उद्देश्य, अधीनस्थ कार्यालयों व भाण्डागारों के गठन के कारण, निगम के मुख्य कार्य, निगम द्वारा प्रदान की जानेवाली वैज्ञानिक भण्डारण तथा अन्य प्रकार की सामान्य सुविधाएं, भाण्डागार में किए जा रहे सुरक्षा के उपाय आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है ।

तृतीय अध्याय **"भाषा, प्रयोजनमूलक हिन्दी और देवनागरी लिपि"** में भाषा, भाषा के विविध प्रकार, प्रयोजनमूलक हिन्दी और देवनागरी लिपि की विशेषताओं को विश्लेषित किया गयाहे । इसके अलावा, बोली और भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा और साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा और सामान्य भाषा में अन्तर स्पष्ट किया गया है ।

चतुर्थ अध्याय **"राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न संस्थाओं, समितियों का हिन्दी के उत्थान, प्रचार-प्रसार, विकास में योगदान"** में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने, उसे समृद्ध बनाने, उसे राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान

दिलाने और उसे गति देनेवाले राष्ट्रीय नेताओं, चिंतकों, समाज सुधारकों, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक संस्थाओं, सभाओं, समितियों के योगदान को दर्शाया गया है ।

पंचम अध्याय **"संघ की राजभाषा"** में राजभाषा सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्ध, राजभाषा आयोग 1955, संसदीय राजभाषा समिति 1957, संघ राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा नियम 1976 का उल्लेख किया गया है ।

षष्टम अध्याय **"केन्द्रीय भण्डारण निगम में हिन्दी का स्थान और निगम में हिन्दी का प्रयोग, प्रचार-प्रसार तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयास"** में निगम में हिन्दी का स्थान, परस्पर पदाधिकारियों द्वारा प्रयुक्त भाषा, जन सम्पर्क की तथा तकनीकी भाषा, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निगम द्वारा किए जा रहे प्रयास, लागू विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का विश्लेषण करते हुए निगम के मुख्यालय तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों को तथ्यों, आँकड़ों के माध्यम से सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

सप्तम अध्याय **"निगम के दैनंदिन काम-काज में बारंबार प्रयुक्त होनेवाले अंग्रेजी वाक्यांश और उनके हिन्दी पर्याय"** में संचार, संचार के माध्यम, केन्द्रीय भण्डारण निगम में कार्यालयीन संचार तथा निगम के दैनंदिन कार्यालयीन काम-काज, भाण्डागार व सामान्य भण्डारण से सम्बन्धित कार्य एवं तकनीकी कार्यों से सम्बन्धित अंग्रेजी वाक्यांश और उनके हिन्दी पर्याय दिए गए हैं ।

अष्टम अध्याय **"निगम का काम हिन्दी में करने में आनेवाली समस्याएँ और उनके समाधान हेतु प्रस्ताव तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए सुझाव"** में निगम का कार्य राजभाषा में करते समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आनेवाली वैयक्तिक स्तर की, निगम के स्तर की तथा प्रशासनिक स्तर की समस्याओं को स्पष्ट करते हुए उनके समाधान तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए राजभाषा सम्बन्धी कुछ नीतियों में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन हेतु सुझाव दिए गए हैं और इसकी पुष्टि के लिए निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लिए गए साक्षात्कार की कुछ महत्वपूर्ण साक्षात्कार प्रश्नावलियाँ भी दी गई हैं ।

उपसंहार में सम्पूर्ण अध्ययन का निष्कर्ष दिया गया है ।

यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए श्रद्धेय डॉ. माधुरी छेड़ा का पूर्ण सहयोग, अमूल्य सुझाव, मार्गदर्शन व दिशा-निर्देशन प्राप्त हुआ । उनके बारे में मेरे मन की गहराइयों में जो भावनाएँ, श्रद्धा है उसे शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना मेरे लिए असम्भव है । उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि उनके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ और सदा आभारी रहूँगी ।

आदरणीय डॉ. उमा शुक्ल की भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने राजभाषा के प्रति मेरी रुचि को देखते हुए मेरे शोध-प्रबन्ध के विषय के चुनाव में मेरा उचित मार्गदर्शन किया, समय-समय पर मुझे प्रोत्साहित किया और उत्साहवर्धक प्रेरणा तथा आवश्यक सुझाव देकर मेरा मार्गदर्शन किया ।

अपने निगम व निगम के उन तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषकर कार्यालय के उन कर्मचारियों, जिनका मुझे हर पल सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहा और जिनके सहयोग के बिना यह शोध प्रबन्ध पूरा कर पाना असम्भव था, के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ ।

अपने घर-परिवार के सदस्यों, सगे-सम्बन्धियों, समस्त गुरुजनों, परिचितों, सहयोगियों, संगी साथियों का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ ।